19

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 65/2020

सुरेश कुमार, जी–66, न्यू कालोनी, झुंझुनूं 333001
बनाम
लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर
— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 05.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 65/2020 पर दिनांक 08.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्र कमांक पाठक /2020/1292–1293 दिनांक 08.09.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2020 / 8021 दिनांक 01.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दू सं0 की सूचना की प्रकृति प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 2 ) की परिभाषा मे उल्लेखित नही है। अतः सूचना देय नही है। बिन्दू सं0 2 व 3 की सूचना की प्रकृति प्रश्नवाचक होने तथा प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई सूचना का समाधान करने के कारण देय नही है। बिन्दू सं0 4 व 5 की प्रमाणित प्रति आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई है। शेष प्रश्नो की प्रकृति प्रश्नवाचक होने के कारण देय नही है। प्रार्थी को वांछित सूचना कोविड–19 के सक्रमण के कारण निश्चित समयावधि मे उपलब्ध नही करवाई जा सकी। भविष्य मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों द्वारा चाहीगई सूचना निश्चित समय मे उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः प्रथम अपील का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील निरस्त फरमाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) मलसीसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2020/8021 दिनांक 01.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दू सं0 की सूचना की प्रकृति प्रश्नवाचक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 ( 2 ) की परिभाषा मे उल्लेखित नही है। अतः सूचना देय नही है। बिन्दू सं0 2 व 3 की सूचना की प्रकृति प्रश्नवाचक होने तथा प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2009

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई सूचना का समाधान करने के कारण देय नही है। बिन्दू सं0 4 व 5 की प्रमाणित प्रति आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई है। शेष प्रश्नो की प्रकृति प्रश्नवाचक होने के कारण देय नही है। प्रार्थी को वांछित सूचना कोविड–19 के सक्रमण के कारण निश्चित समयावधि मे उपलब्ध नही करवाई जा सकी। भविष्य मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों द्वारा चाहीगई सूचना निश्चित समय मे उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0 खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू
05/10/2020